प्रजातंत्र : गुण एवं दोष (Democracy: Pros and Cons.)

डॉ० जितेंद्र प्रकाश त्यागी
असिस्टेंट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
पी० एन० जी० राज० पी ० जी ० कॉलेज
रामनगर (नैनीताल)

ABSTRACT

प्रजातंत्र "जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है"। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सरकार सभी समाजों के हितों के लिए काम करती है। यही कारण है कि सरकार हर साल विभिन्न योजनाओं की शुरूआत करती है। राजनीतिक दल, समूह जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखते हैं, लेकिन अरस्तू ने तो लोकतंत्र को विकृत रूप मानते हुए इसे अयोग्य शासन माना था। केवल मात्र साधारण योग्यता के आधार पर शासन व्यवस्था में भर्ती होना ही, अयोग्यता का द्योतक है। लोकतंत्र में धन, शक्ति के आधार पर अयोग्य व्यक्ति शासन में प्रवेश करते हैं इसलिए लोकतंत्र में अयोग्य व्यक्तियों की भीड़ पायी जाती है। इस रिसर्च पेपर का उद्देश्य प्रजातंत्र की व्याख्या करते हुए इसके गुण एवं दोषों का अध्ययन करना है।

Key words: प्रजातंत्र,अरस्तू,आकांक्षाए,शासन व्यवस्था।

प्रजातंत्र : गुण एवं दोष

जार्ज बर्नाडशाँ के अनुसार, "प्रजातंत्र एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसका लक्ष्य जनता का यथासंभव अधिकतम कल्याण करना है न कि किसी एक वर्ग का ।" प्रजातंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सम्मति और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है ।

लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, जिसके अंतर्गत जनता अपनी मर्जी से चुनाव में आए हुए किसी भी दल को वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है ,तथा उसकी सत्ता बना सकती है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है ,लोक + तंत्र । लोक का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ है शासन।लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यह "जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है"।

लोकतंत्र की पूर्णतः सही और सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। मैक्फर्सन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए इसे 'एक मात्र ऐसा रचनातंत्र माना है जिसमें सरकारों को चयनित और प्राधिकृत किया जाता है अथवा किसी अन्य रूप में कानून बनाए और निर्णय लिए जाते हैं।' क्रैन्स्टन ने ठीक ही कहा है कि लोकतंत्र के संबंध में अलग-अलग धारणाएं है। लिण्सेट की परिभाषा अधिक व्यापक प्रतीत होती हैं उसके अनुसार, "लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जो पदाधिकारियों को बदल देने के नियमित सांविधानिक अवसर प्रदान करती है और एक ऐसे रचनातंत्र का प्रावधान करती है जिसके तहत जनसंख्या का एक विशाल हिस्सा राजनीतिक प्रभार प्राप्त करने के इच्छुक प्रतियोगियों में से मनोनुकूल चयन कर महत्त्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करती है।" ' शूप्टर के अनुसार, 'लोकतांत्रिक विधि राजनीतिक निर्णय लेने हेतु ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जो जनता की सामान्य इच्छा को क्रियान्वित करने हेतु तत्पर लोगों को चयनित कर सामान्य हित को साधने का कार्य करती है। वास्तव में, लोकतंत्र मूलतः नागरिक और राजनीतिक

स्वतंत्रता के लिए सहभागी राजनीति से संबद्ध प्रणाली है। लोकतंत्र की अवधारणा के संबंध में प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:

1. लोकतंत्र का पुरातन उदारवादी सिद्धान्त
2. लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धान्त
3. लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धान्त
4. प्रतिभागी लोकतंत्र का सिद्धान्त
5. लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धान्त अथवा जनता का लोकतंत्र

प्रजातंत्र के गुण:-

प्रजातंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था के निम्न गुण है:-

लोकतांत्रिक व्यवस्था को जनता के कल्याण, विकास व सुविधा का प्रतीक माना जाता है। लोकतंत्र में शासन की नीतियाँ, कार्यक्रमों, आदेशों के माध्यम से सर्वसाधारण का अधिक- से-अधिक जनहित करने का प्रयास किया जाता है। लोकतंत्र जन कल्याण के लिए कार्य करता है। जनकल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं। जनहित में निर्णय लिए जाते हैं।भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सरकार सभी समाजों के हितों के लिए काम करती है। यही कारण है कि सरकार हर साल विभिन्न योजनाओं की शुरूआत करती है। ये योजनाएं गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, और सुरक्षित पीने के पानी की उपलब्धता, और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं से संबंधित हैं। कुछ योजनाएं इस तरह हैं: अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन (पूर्व में इंदिरा आवास योजना), भारत निर्माण, आदि|

लोकतंत्र जनहित मे राजनीतिक प्रशिक्षण का कार्य करता है। इस कार्य के लिए लोकतंत्र में संचार के साधनों, प्रेस, दूरदर्शन आदि का प्रयोग व्यापक तरीके से किया जाता है।

लोकतंत्र में राजनीतिक दल, राजनेता, दबाव समूह और संगठन सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। राजनीतिक दल जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखते हैं। सरकार इन पर नीतियाँ बनाते हुए समस्त राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी जनता को उपलब्ध करवाती है। इसमें समानता स्थापित करने के प्रयास किये जाते हैं।

प्रजातंत्र ही जनता को प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान करता है । न्यायालय और संसद दोनों में किसी कार्य के प्रति स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है । प्रत्येक मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होता है । किसी अन्य शासन व्यवस्था में यह संभव नहीं हैं ।

प्रजातंत्र विचारों की परिपक्वता, निष्पक्षता के लिए कार्य करता है । इसके लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया जाता है। प्रतिभा का विकास समाज के बंधनों में घिर कर नहीं हो सकता । प्रजातंत्र आज की सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर और औचित्यपूर्ण है । यह नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए कार्य करता है ।

प्रजातंत्र मे लोगों को शासन की आलोचना करने का अधिकार होता है । इसमें शासन के किसी कार्य के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा जा सकता है, जो कि अन्य प्रकार की प्रणालियों में संभव नहीं हैं। इस कारण कई प्रकार के विवादों से यह शासन प्रणाली दूर हैं।

लोकतंत्र में राष्ट्रीय चरित्र व नैतिकता का विकास नागरिकों में होना चाहिए। राष्ट्रप्रेम, देश – भक्ति, त्याग, बलिदान, सेवा और सहनशीलता आदि गुणों का विकास नागरिकों को राष्ट्र से जोड़े रखने का प्रयास करता है। लोकतंत्र उच्च गुणों का विकास करने का प्रयास करता है। नैतिकता लोकतंत्र को भ्रष्ट होने से रोकती है। नैतिकता से नागरिकों में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। लोकतंत्र में अच्छे आदर्शों का संकल्प दोहराया जाता है।

लोकतंत्र मे क्रांति-लोकतंत्र की क्रांति संभवनाए बहुत कम होती है क्योंकि लोकतंत्र में जनता को विभिन्न माध्यमों द्वारा अपनी आवाज को उठाने की स्वतंत्रता होती है।

प्रजातंत्र के दोषः-

अरस्तू ने लोकतंत्र को विकृत रूप मानते हुए इसे अयोग्य शासन माना था। लोकतंत्र में जो व्यक्ति, नेता, राजनीतिज्ञ शामिल होते हैं वे अयोग्य इसलिए माने जाते हैं कि उन्हें राजनीति का सघन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है। केवल मात्र साधारण योग्यता के आधार पर शासन व्यवस्था में भर्ती होना ही, अयोग्यता का द्योतक है। लोकतंत्र में धन, शक्ति के आधार पर अयोग्य व्यक्ति शासन में प्रवेश करते हैं इसलिए लोकतंत्र में अयोग्य व्यक्तियों की भीड़ पायी जाती है। इस तरह लोकतंत्र में विभिन्न दोष पाए जाते हैं।

लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। इस व्यवस्था में यह माना जाता है कि गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं।

लोकतंत्र के बारे में यह दावा पूरी तरह से भ्रम पूर्ण है कि यह व्यक्ति को नागरिक शिक्षा , नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है।वास्तविक स्थिति इससे एकदम भिन्न है।

लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और उसे ही राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं। वह एक - दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसकी भावना को भड़काते रहते हैं।

लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान करता है, किंतु यह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान नहीं करता है। आर्थिक स्वतंत्रता और समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता भी अर्थहीन हो जाती है। लोकतंत्र में चुनावो में धनी खड़े होते हैं और वह अपने धन की शक्ति व प्रभाव के द्वारा चुने जाते हैं। जब व्यवस्थापिका के अधिकांश व्यक्ति धनवान होते हैं तो वह कानून भी ऐसे ही बनाते हैं जो धनिक वर्ग के हित में होते है। इस प्रकार आर्थिक असमानता के कारण लोकतंत्र में गरीब वर्ग की राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता भी लगभग अर्थहीन हो जाती है।

लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं, किंतु राजनीतिक दल - प्रणाली में अनेक दोष भी होते हैं और इनके कारण लोकतंत्र में विकार आता है। सिद्धांत रूप में सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है और वह जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक व आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, किंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्र -भक्ति की जगह अनुत्तरदायी शासन प्रणाली की भक्ति को महत्व देते हैं।

सिद्धांत रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है, किंतु व्यवहार रूप में लोकतंत्र अनुत्तरदायी दिखाई पड़ता है। लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता है। जब भी कोई बड़ी असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दल के आंदोलनों एवं अड़ंगा डालने की नीति को असफलता के लिए उत्तरदायी बताती है किंतु विरोधी दल असफलताओं के लिए स्वयं सरकार की नीतियों को दोषी बताते हैं।

लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में तथा कानून के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है और समय की भी बर्बादी होती है। सभी कार्य विभिन्न समितियों के द्वारा तथा व्यवस्थापिका की लंबी - चौड़ी बहस द्वारा किए जाते हैं। लोकतंत्र की यह प्रक्रिया समय और धन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली होती है। इसी प्रकार आम चुनावो में भी राष्ट्रीय धन व समय की बहुत हानि होती है। गरीब देशों के लिए लोकतंत्र एक और तो धन की दृष्टि से बहुत खर्चीली प्रणाली है और दूसरी ओर इसमें विकास की गति भी बहुत धीमी है।

लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, किंतु लोकतंत्र में होने वाले चुनावो में मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं रखते हैं। राजनीतिक दलों तथा उनके उम्मीदवारों के अत्यधिक प्रयत्नों के बावजूद मतदान में 50 से 60% के बीच में मतदाता भाग लेते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के दोषों के कारण स्वयं जनता शासन - प्रणाली को अपना नहीं मानती है। इसके अलावा जब सभी मतदाता मतदान नहीं करते हैं,तो प्राय: कम योग्य तथा अवसरवादी प्रकृति के प्रतिनिधि भी चुन लिए जाते हैं।

युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकटो की स्थिति में लोकतंत्र शासन कमजोर सिद्ध होता है, क्योंकिइसमें सत्ता विकेंद्रित होती है। इस प्रणाली में शीघ्र वह गुप्त निर्णय संभव नहीं होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय लोकतांत्रिक देश नाजी जर्मनी के सामने और द्वितीय विश्व -युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य साम्यवादी सोवियत संघ के सामने कमजोर सिद्ध हुये।

साम्यवादी आलोचकों का मत है कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं। पूंजीवाद युद्ध एवं साम्राज्यवाद को जन्म देता है, अतः लोकतांत्रिक राज्यों को विश्व -शांति का समर्थक नहीं माना जा सकता है। ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोप में लोकतांत्रिक राज्यों में युद्ध एवं साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था। यद्यपि वर्तमान में यूरोप के समृद्ध लोकतांत्रिक राज्य युद्ध एवं राजनीतिक साम्राज्यवाद के विरोधी दिख पड़ रहे हैं किंतु उनकी नीतियां एक नए प्रकार के आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दे रही है, जिसे हम नव उप -निवेशवाद कहते हैं। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की मदद से अफ्रीका व एशिया की अर्थव्यवस्था को अपने हित में प्रभावित कर रहे हैं। साम्यवादी विचारकों का मत है कि आधुनिक काल में भी लोकतंत्र और पूंजीवाद की सांठ -गांठ है और यह विश्व - शांति के लिए खतरा है।

लोकतंत्र में राजनेता, जिन आदर्शो, मूल्यों की स्थापना के लिए राजनीति में आता है। वह शासन व्यवस्था में आने के बाद राजनीतिकरण का शिकार हो जाता है। एक बार शासन व्यवस्था में आने के बाद शासन व्यवस्था से अलग नहीं होना चाहता है। वह जीवनपर्यन्त लोकतंत्र से जुड़े रहना चाहता है। जनता के आदर्शों, मूल्यों के लिए दिखावे का व्यवहार करता है। जबकि सार्वजनिक जीवन में वह कुछ करना चाहता है। वह अपने आप को राजनीतिकरण के कारण असमर्थ पाता है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र सबका नहीं होकर सीमावृहद, अर्थों में सिमट कर रह जाता है। लोकतंत्र में सार्वजनिक राजनीति के स्थान पर व्यक्तिकरण की राजनीति बढ़ती चली जाती है। यही इसके दोषों को उत्पन्न करती चली जाती है।

जिन देशो में लोकतंत्र की स्थापना हुई, उनमें अधिकांश रूप से यह देखने को मिलता है कि व्यावहारिक रूप से सामाजिक समानता कायम नहीं रहती है। ऊंच – नीच, गरीबी – अमीरी, वर्ग – संघर्ष, तरीके और आर्थिक असमानताओं के कारण सामाजिक समानता कभी स्थापित नहीं होती है।

संकटकालीन स्थिति का तत्कालीन समाधान करने में लोकतंत्र अधिक सफल नहीं रहता है क्योंकि लोकतंत्र में निर्णय लेने में काफी समय नष्ट हो जाता है।

लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है । अतः उसे मताधिकार देता है और मानता है कि वह राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में समर्थ होगा , किंतु आलोचकों का मत है कि व्यक्ति मूलत: ऐसा अबौद्धिक प्राणी है , जो अपने मूल संवेगो और आवेगो से चालित होता है और इसलिए व्यक्तियों को जब मताधिकार दे दिया जाता है तो हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह भीड़तंत्र मिलता है ।

References:-

1. विकिपीडिया
2. लोकतांत्रिक भारत में लोक प्रशाशन : प्रो०पी०डी०शर्मा
3. सरकार के सिद्धांत एवं प्रकार : पुखराज जैन
4. राजनीति सिद्धांत का परिचय : डा० वी० एल० फडिया,डा० कुलदीप फडिया